[2021] 6 एस.सी.आर. 1113

अशोक कुमार

बनाम

राज गुप्ता एवं अन्य।

(सिविल अपील संख्या 6153 0£2021)

1 अक्टूबर, 2021

[आर सुभाष रेड्डी और हृषिकेश रॉय, जे.जे.]

मुकदमा - घोषणात्मक मुकदमा - वादी, क्या इच्छा के विरुद्ध डीएनए परीक्षण कराया जा सकता है - प्रमुख आवश्यकता का परीक्षण - प्रतिवादी-प्रतिवादी के माता-पिता की सहदायिक संपत्ति पर स्वामित्व का दावा करने वाले अपीलकर्ता-वादी द्वारा दायर घोषणात्मक मुकदमा - प्रतिवादियों ने वादी के डीएनए परीक्षण की मांग की - आवेदन खारिज कर दिया गया - पुनरीक्षण याचिका - उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति - अपील पर, आयोजित: वर्तमान मामले में, वादी को डीएनए परीक्षण के अधीन करने का आवेदन एक घोषणात्मक मुकदमे में है - वादी ने पहले ही सबूत जोड़ दिए हैं और अतिरिक्त सबूत (डीएनए) पेश करने में रुचि नहीं रखता है अपने मामले को साबित करने के लिए - अब अपने साक्ष्य पेश करने की बारी प्रतिवादियों की है - ट्रायल कोर्ट ने उनके आवेदन के समय पर सही ढंग से सवाल उठाया और इसे खारिज कर दिया - प्रतिवादी वादी को अपने मामले के समर्थन में और सबूत पेश करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते - अपीलकर्ता ने रिकॉर्ड पर लाया उसके समर्थन में सबूत जो उसके अनुसार उसके मामले को पर्याप्त रूप से स्थापित करता है - वादी द्वारा (डीएनए नमूना प्रदान करके) पेश किए जाने वाले अतिरिक्त सबूत की प्रकृति, दूसरे पक्ष के कहने पर अदालत द्वारा आदेश देने की आवश्यकता नहीं है - ऐसे मुकदमे में जहां हितों को संतुलित किया जाना है और प्रतिष्ठित आवश्यकता का परीक्षण संतुष्ट नहीं है, वादी की निजता के अधिकार की सुरक्षा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए - लागू निर्णय को रद्द कर दिया गया - ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश बहाल किया गया - साक्ष्य अधिनियम, 1872 - एसएस.112 , 114 - भारत का संविधान।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 - एस.112 - माना गया: भारतीय कानून वैधता की ओर झुकता है और कमीनेपन पर नाराजगी जताता है - एक बच्चे की वैधता की धारणा को केवल साक्ष्यों की मजबूत प्रबलता से ही विस्थापित किया जा सकता है, न कि केवल संभावनाओं के संतुलन से।

भारत का संविधान - निजता का अधिकार - डीएनए परीक्षण - आनुपातिकता का परीक्षण - पर चर्चा की गई।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए

माना: 1.1 ऐसी परिस्थितियों में जहां रिश्ते को साबित करने या विवाद करने के लिए अन्य सबूत उपलब्ध हैं, अदालत को आमतौर पर रक्त परीक्षण का आदेश देने से बचना चाहिए। इस तरह के परीक्षण किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं और इसके बड़े सामाजिक परिणाम भी हो सकते हैं। भारतीय कानून वैधता की ओर झुकता है और कमीनेपन पर नाराजगी जताता है। कानून में किसी बच्चे की वैधता की धारणा को हल्के में नहीं लिया जा सकता। किसी बच्चे की वैधता की धारणा को केवल साक्ष्यों की प्रबल प्रबलता से ही विस्थापित किया जा सकता है, न कि केवल संभावनाओं के संतुलन से। साक्ष्य का सामान्य नियम यह है कि बोझ उस पक्ष पर होता है जो सकारात्मकता का दावा करता है। लेकिन ऐसे मामलों में जहां इसे चुनौती दी जाती है, इसका बोझ उस पार्टी पर डाल दिया जाता है, जो नकारात्मक पक्ष की वकालत करती है। सबूत के बोझ के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान जैसे मामले में, न्यायालय का निर्णय पार्टियों के हितों, यानी सत्य की खोज और उसमें शामिल सामाजिक और सांस्कृतिक निहितार्थों को संतुलित करने के बाद ही दिया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति को कमीने के रूप में कलंकित करने की संभावना, एक ऐसे वयस्क को अपमानित करने की संभावना, जो अपने जीवन के परिपक्व वर्षों में अपने माता-पिता का जैविक पुत्र नहीं दिखाया जाता है, न केवल सहन करने के लिए एक भारी अपराध हो सकता है, बल्कि घुसपैठ भी कर सकता है। उसकी निजता के अधिकार पर. [पैरा 11.1, 11.2 और 12]

कामती देवी बनाम पोशी राम **2001(5) एससीसी 311: [2001] 3 एससीआर 729 - पर भरोसा किया गया।**

1.2 डीएनए किसी व्यक्ति (जुड़वा बच्चों को छोड़कर) के लिए अद्वितीय है और इसका उपयोग किसी व्यक्ति की पहचान की पहचान करने, पारिवारिक संबंधों का पता लगाने या यहां तक कि संवेदनशील स्वास्थ्य जानकारी प्रकट करने के लिए किया जा सकता है। क्या किसी व्यक्ति को ऐसे मामलों में डीएनए के लिए नमूना प्रदान करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, इसका उत्तर के..§ पुट्टस्वामीव में इस न्यायालय के सर्वसम्मत निर्णय में निर्धारित आनुपातिकता के परीक्षण पर विचार करके दिया जा सकता है। भारत संघ, जिसमें निजता के अधिकार को भारत में संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार घोषित किया गया है। इसलिए न्यायालय को अपनाए जा रहे वैध लक्ष्यों की आनुपातिकता की जांच करनी चाहिए, यानी क्या वे

मनमाने या भेदभावपूर्ण नहीं हैं, क्या उनका व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और क्या वे व्यक्ति की गोपनीयता और व्यक्तिगत स्वायत्तता पर अतिक्रमण को उचित ठहराते हैं, डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है. वर्तमान मामले में, वादी को डीएनए टेस्ट कराने का आवेदन एक घोषणात्मक मुकदमे में है और वादी ने पहले ही सबूत पेश कर दिया है और अपने मामले को साबित करने के लिए अतिरिक्त सबूत (डीएनए) पेश करने में दिलचस्पी नहीं रखता है। अब प्रतिवादियों की बारी है कि वे अपने साक्ष्य प्रस्तुत करें। इस स्तर पर, वे वादी का डीएनए परीक्षण कराने के लिए कह रहे हैं। आवेदन के समय पर सवाल उठाते हुए ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी के आवेदन को खारिज कर दिया। यह सही क्रम था. अभी तक तय किए जाने वाले मुकदमे में, वादी ने प्रतिवादियों के शपथ पत्र, अपने स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र और अपने अधिवास प्रमाण पत्र के माध्यम से सबूत पेश किए हैं। गौरतलब है कि प्रतिवादी नंबर 1, जो 3 भाई-बहनों (प्रतिवादियों) में से एक है, ने अपने हलफनामे में घोषणा की थी कि वादी को उसके माता-पिता ने एक बेटे के रूप में पाला था। इसलिए, वादी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त साक्ष्य की प्रकृति (डीएनए नमूना प्रदान करके) को दूसरे पक्ष के कहने पर न्यायालय द्वारा आदेश देने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के मुकदमे में जहां हित को संतुलित करना होगा और प्रमुख आवश्यकता की कसौटी संतुष्ट नहीं होगी, वादी की निजता के अधिकार की सुरक्षा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। [पैरा 13,14]

के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2019 (1) एससीसी 1: [2018] 8 एससीआर 1 - अनुसरण किया गया।

भबानी प्रसाद जेना बनाम संयोजक सचिव, उड़ीसा राज्य महिला आयोग एवं अन्य (2010) 8 एससीसी 633: [2010] 9 एससीआर 457 - पर भरोसा किया गया।

1.3 अतिरिक्त मुद्दा यह हल किया जाना है कि क्या डीएनए परीक्षण से इनकार करना 'अन्य साक्ष्य' के बराबर है या दूसरे शब्दों में, क्या ऐसी स्थिति में कोई प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है। वादी ने अपने दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए हैं और वह आगे साक्ष्य प्रस्तुत करने में अनिच्छुक है। वह अपने इनकार के दुष्परिणामों से अवगत हैं, लेकिन डीएनए टेस्ट कराने से इनकार करने पर अड़े हुए हैं। उनके मुक़दमे का निर्णय अंततः प्रस्तुत साक्ष्य की प्रकृति और गुणवत्ता पर किया जाएगा। इनकार के आधार पर प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने का मुद्दा भी उठ सकता है। अदालत को दोनों पक्षों के साक्ष्यों को सभी संबंधित परिस्थितियों के साथ तौलना है और फिर मुकदमे में फैसले पर पहुंचना है और यह उस तरह का मामला नहीं है

जहां वादी का डीएनए परीक्षण बिना किया जाता है। अपवाद। प्रतिवादी वादी को प्रतिवादी के मामले के समर्थन में और सबूत पेश करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। किसी भी मामले में, मुकदमेबाजी करने वाले पक्ष पर यह बोझ है कि वह अपनी याचिका के समर्थन में साक्ष्य जोड़कर अपने मामले को साबित करे और अदालत को पक्षकार को प्रतिस्पर्धी पक्ष द्वारा सुझाए गए तरीके से अपना मामला साबित करने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। अपीलकर्ता (वादी) ने अपने समर्थन में साक्ष्य रिकॉर्ड पर लाये हैं जो उसके मूल्यांकन में उसके मामले को पर्याप्त रूप से स्थापित करते हैं। उनका मुक़दमा उन सबूतों के साथ सफल या विफल हो जाएगा, जो निश्चित रूप से दूसरे पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों पर निर्भर करेगा। जब वादी खुद को डीएनए परीक्षण के लिए तैयार नहीं करता है, तो उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करना उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार पर आघात होगा। आक्षेपित निर्णय C को अपास्त किया जाता है। ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश बहाल किया जाता है। मुक़दमे को तदनुसार आगे बढ़ाया जाए। [पैरा 15-17]

***शारदा बनाम धर्मपाल* 2003(4) एससीसी 493: [2003] 3 एससीआर 106; *बनारसी दास वी. टीकू दत्ता* 2005(4) एससीसी 449: [2005] 3 एससीआर 923 - पर भरोसा किया गया।**

***डी दीपान्विता रॉय बनाम रोनोब्रोटो रॉय* (2015) 1 एससीसी 365: [2014] 11 एससीआर 553 - संदर्भित।**

<u>केस कानून संदर्भ</u>

[2005] 3 एससीआर 923	**पैरा 8 पर निर्भर था**
[2010] 9 एससीआर 457	**पैरा 9 पर निर्भर था**
[2014] 11 एससीआर 553	**पैरा 10 को संदर्भित करता है**
[2001] 3 एससीआर 729	**पैरा 11.1 पर निर्भर था**
[2018] 8 एससीआर 1 ने	**पैरा 13 का पालन किया**
[2003] 3 एससीआर 106	**पैरा 15 पर निर्भर था**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2021 की सिविल अपील संख्या 6153।

2017 के सिविल रिवीजन संख्या 8695 में पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय जी, चंडीगढ़ के निर्णय और आदेश दिनांक 08.03.2019 से।

सुश्री सुनीता ओझा, सलाहकार। अपीलकर्ता के लिए.

रामेश्वर सिंह मलिक, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री रितिका सिंह, जितेश शर्मा, श्रीमती मोना के. राजवंशी, जितेश मलिक, जीवेश मलिक, सतीश कुमार, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए.

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

हृषिकेश रॉय, जे.

1. अनुमति स्वीकृत.

2. अपीलकर्ता (वादी) की विद्वान वकील सुश्री सुनीता ओझा को सुना। प्रतिवादियों (प्रतिवादियों) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री रामेश्वर सिंह मलिक को भी सुना।

3. अपीलकर्ता अशोक कुमार ने सीएस संख्या 53/2013 दायर कर स्वर्गीय त्रिलोक चंद गुप्ता और स्वर्गीय सोना देवी द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के स्वामित्व की घोषणा की मांग की। उन्होंने मुकदमे में दंपति की तीन बेटियों को प्रतिवादी के रूप में खड़ा किया और खुद को त्रिलोक चंद गुप्ता और सोना देवी का बेटा होने का दावा किया। अपने लिखित बयान में, प्रतिवादियों ने इस बात से इनकार किया कि वादी उनके माता-पिता (त्रिलोक चंद गुप्ता और सोना देवी) का बेटा है, और इस तरह वह उनकी पैतृक संपत्ति में किसी भी हिस्से से वंचित है। प्रतिवादियों ने अपनी दिवंगत मां सोना देवी द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 16.4.1982 (25.4.1982 को पंजीकृत) के आधार पर संपत्ति पर एक विशेष दावा भी स्थापित किया।

4. विद्वान अपर के समक्ष कार्यवाही के दौरान। सिविल जज (सीनियर डिवीजन), कालका ने वादी के साक्ष्य को बंद करने पर, जब मुकदमा दूसरे पक्ष के साक्ष्य के लिए निर्धारित किया गया था, तो प्रतिवादियों ने 19.4.2017 को एक आवेदन दायर किया जिसमें अदालत से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड टेस्ट (के लिए) आयोजित करने का निर्देश मांगा गया। वादी और प्रतिवादी में से किसी एक का संक्षिप्त "डीएनए परीक्षण"), प्रतिवादी के माता-पिता यानी स्वर्गीय त्रिलोक चंद गुप्ता

और श्रीमती के साथ वादी का जैविक संबंध स्थापित करने के लिए। सोना देवी. इस आवेदन का वादी ने इस अनुमान के साथ विरोध किया कि प्रतिवादी का आवेदन कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और वादी द्वारा अदालत के समक्ष यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत रखे गए हैं कि वह त्रिलोक चंद गुप्ता और सोना देवी का पुत्र है। . वादी ने अपने विरोध में विशेष रूप से अनुरोध किया था कि वादी की मां और प्रतिवादियों ने संपत्ति संख्या 496, पहाड़ी बाजार, कालका को उनके नाम पर स्थानांतरित करने के लिए नगरपालिका समिति, कालका के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें वादी के नाम का उल्लेख किया गया था। उसका बेटा। संबंधित हलफनामे की प्रति विधिवत मुकदमे की कार्यवाही में रिकॉर्ड पर रखी गई थी। इसी प्रकार, संपत्ति संख्या 496, पहाड़ी बाजार, कालका के हस्तांतरण के संबंध में तीन प्रतिवादियों के शपथ-पत्र दिए गए, जहां फिर से वादी को स्वर्गीय त्रिलोक चंद गुप्ता और स्वर्गीय श्रीमती का पुत्र माना गया। मुकदमे में सोना देवी को भी रिकार्ड में लाया गया। प्रतिवादी के माता-पिता से उसके जुड़ाव पर इस तरह की स्वीकृति के प्रक्षेपण के साथ, वादी ने प्रतिवादी के आवेदन में सुझाए गए डीएनए परीक्षण का विरोध किया और अपने मामले को साबित करने के लिए पहले से ही प्रस्तुत सबूतों पर भरोसा करने की पेशकश की।

5. वादी के लिए डीएनए परीक्षण (प्रतिवादी की कीमत पर) आयोजित करने के प्रतिवादी के आवेदन को अदालत ने इस तथ्य का हवाला देते हुए निपटाया कि सीएस संख्या 53/2013 पीछे छोड़ी गई संपत्ति के स्वामित्व की घोषणा के लिए है। स्वर्गीय त्रिलोक चंद गुप्ता और स्वर्गीय सोना देवी द्वारा, जहां प्रतिवादियों ने इस बात से इनकार किया है कि वादी उनका भाई या उनके माता-पिता का बेटा है। विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि वादी ने अपने मामले को साबित करने के लिए पहले ही साक्ष्य पेश कर दिया था और प्रतिवादियों का आवेदन मुकदमे के उस चरण में दायर किया गया था जब उनके साक्ष्य देने की बारी थी। इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने कहा कि यह साबित करने की जिम्मेदारी वादी की है कि वह प्रतिवादियों के परिवार में जन्म लेने के कारण उनका सहदायिक है और इस तरह का बोझ प्रतिवादियों पर नहीं पड़ता है। चूंकि वादी ने डीएनए नमूना देने से इनकार कर दिया था, इसलिए यह विचार किया गया कि अदालत वादी को डीएनए नमूना देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है और तदनुसार प्रतिवादी का आवेदन विद्वान ट्रायल जज के आदेश दिनांक 28.11.2017 द्वारा खारिज कर दिया गया।

6. इस प्रकार व्यथित होकर, प्रतिवादियों ने दिनांक 28.11.2017 के आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका दायर करके उच्च न्यायालय का रुख किया। पक्षों को सुना गया और विद्वान न्यायाधीश ने उचित विचार करने के बाद पाया कि डीएनए

परीक्षण एक दोधारी हथियार है और एक पक्ष और वादी के बीच संबंध निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण है जो स्वर्गीय त्रिलोक चंद गुप्ता का बेटा होने का दावा कर रहा है और सोना देवी को प्रतिवादियों द्वारा सुझाए गए डीएनए परीक्षण से पीछे नहीं हटना चाहिए। वादी पर डीएनए परीक्षण कराने की याचिका को ट्रायल कोर्ट द्वारा लिए गए विपरीत दृष्टिकोण में हस्तक्षेप करके तदनुसार अनुमति दी गई थी। उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण आदेश पर आपत्ति जताते हुए, पीड़ित वादी इस न्यायालय के समक्ष है।

7. सिविल सूट संख्या 53/2013 में दलीलों का आदान-प्रदान काफी पहले किया गया था, लेकिन वादी के साक्ष्य बंद होने के बाद ही, प्रतिवादियों ने वादी का डीएनए परीक्षण कराने के लिए 19.4.2017 को आवेदन दायर किया। इसलिए सवाल यह है कि क्या एक घोषणात्मक मुकदमे में जहां सहदायिक संपत्ति पर स्वामित्व का दावा किया जाता है, वादी को उसकी इच्छा के विरुद्ध डीएनए परीक्षण के अधीन किया जा सकता है। संबंधित प्रश्न यह है कि क्या वादी खुद को डीएनए परीक्षण के अधीन किए बिना, अन्य भौतिक साक्ष्यों के माध्यम से, प्रश्न में संपत्ति पर अपना अधिकार स्थापित करने का हकदार है। आवेदन का समय भी उतना ही प्रासंगिक है। वादी ने पहले ही पार्टियों के बीच संबंध साबित करने के लिए अपनी ओर से सबूत पेश कर दिए हैं और इस स्तर पर क्या उच्च न्यायालय को वादी को डीएनए परीक्षण कराने का निर्देश देना चाहिए था। चिंता का एक और मुद्दा यह है कि क्या सहमति के अभाव में किसी पक्ष को डीएनए परीक्षण के लिए नमूना उपलब्ध कराने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

8. बनारसी दास बनाम टीकू दत्ता मामले में इस अदालत ने घोषणा की थी कि डीएनए परीक्षण को नियमित मामले के रूप में नहीं बल्कि केवल योग्य मामलों में ही निर्देशित किया जाना चाहिए। उस मामले में मृतक की संपत्तियों के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र देने के लिए एक याचिका दायर की गई थी। वादी ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत मृतक की बेटी और कक्षा 1 का एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी होने का दावा किया। मृतक अपने पीछे 5 भाइयों को छोड़कर बिना वसीयत के मर गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पितृत्व स्थापित करने के लिए बेटी का डीएनए परीक्षण कराने के भाई के एक आवेदन को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत ने फैसले के निम्नलिखित अंश में उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा: -

"10. इस प्रकार के मामलों में न्यायालय को साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। यह खंड सुप्रसिद्ध कहावत पैटर इस्ट क्वेम नुपटिया डेमोंस्ट्रेंट (वह पिता है जिसे विवाह इंगित करता है) पर आधारित है।

वैधता की धारणा यह है कि एक विवाहित महिला से पैदा हुआ बच्चा वैध माना जाता है, यह उस व्यक्ति पर इसे साबित करने का पूरा बोझ डाल देता है जो अवैधता को उजागर करने में रुचि रखता है। कानून यह मानता है कि

विवाह समारोह वैध है, और प्रत्येक व्यक्ति वैध है। विवाह या वंशावली (पितृत्व) को माना जा सकता है, सामान्य तौर पर कानून बुराई और अनैतिकता के खिलाफ है।

9. *भबानी प्रसाद जेना बनाम संयोजक सचिव, उड़ीसा राज्य* महिला आयोग एवं अन्य में, न्यायमूर्ति आरएम। लोढ़ा ने इस मुद्दे पर इस न्यायालय के पहले के दो फैसलों में सामंजस्य बिठाते हुए सही ही यह निर्धारित किया था;

*"**23**. इस न्यायालय के दो निर्णयों, अर्थात् गौतम कुंडू [(1993) 3 एससीसी 418: 1993 एससीसी (सीआरआई) 928] और शारदा [(2003) 4 एससीसी 493] में कोई विरोधाभास नहीं है। गौतम कुंडू [(1993) 3 एससीसी 418: 1993*

एससीसी (सीआरआई) 928] में यह निर्धारित किया गया है कि भारत में अदालतें रक्त परीक्षण का आदेश नहीं दे सकती हैं और ऐसी प्रार्थनाओं को नियमित जांच की अनुमति नहीं दी जा सकती है; प्रथम दृष्टया मामला मजबूत

होना चाहिए और अदालत को सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए कि रक्त परीक्षण का आदेश देने का परिणाम क्या होगा। शारदा में [(2003) 4 एससीसी 493] यह निष्कर्ष निकालते हुए कि एक वैवाहिक अदालत के पास किसी व्यक्ति को मेडिकल परीक्षण से गुजरने का आदेश देने की शक्ति है, यह दोहराया गया कि अदालत को ऐसी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए यदि आवेदक के पास प्रथम दृष्टया मजबूत मामला है और वहां न्यायालय के समक्ष पर्याप्त सामग्री है। जाहिर है, इसलिए, डीएनए परीक्षण के लिए कोई भी आदेश अदालत द्वारा तभी दिया जा सकता है जब इस तरह के कोर्स के लिए प्रथम दृष्टया कोई मजबूत मामला बनता हो।

विद्वान न्यायाधीश ने डीएनए परीक्षण का आदेश देने के मुद्दे से जुड़ी संवेदनशीलताओं पर ध्यान देते हुए राय दी कि अदालत के विवेक का प्रयोग पक्षों के हितों को संतुलित करने के बाद किया जाना चाहिए और क्या मामले में उचित निर्णय के लिए डीएनए परीक्षण की आवश्यकता है आदि। एक दिशा "प्रमुख आवश्यकता" की कसौटी पर खरी उतरती है।

10.*भबानी प्रसाद जेना* (सुप्रा) में उपरोक्त निर्णय पर *दीपान्विता रॉय बनाम रोनोब्रोटो रॉय* में विचार किया गया और अनुमोदित किया गया, जहां न्यायालय ने तथ्यों से देखा कि पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ बेवफाई का आरोप लगाया और अपनी पत्नी से पैदा हुए बच्चे के पिता बनने पर सवाल उठाया। . उन परिस्थितियों में, जब पत्नी ने बेवफाई के आरोप से इनकार किया था, तो अदालत ने कहा कि डीएनए परीक्षण के अलावा, पति के लिए दलीलों में किए गए दावे को स्थापित करना असंभव होगा। इन तथ्यों में डीएनए परीक्षण के आदेश देने के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी. फिर भी, न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर ने डिवीजन बेंच के लिए लिखते हुए, इस आशय की एक चेतावनी दर्ज करना उचित समझा कि पत्नी डीएनए परीक्षण के लिए उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करने से इनकार कर सकती है, लेकिन उस मामले में, पार्टी के खिलाफ धारणा बनाई जा सकती है।

11.1 ऐसी परिस्थितियों में जहां रिश्ते को साबित करने या विवाद करने के लिए अन्य सबूत उपलब्ध हैं, अदालत को आमतौर पर रक्त परीक्षण का आदेश देने से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तरह के परीक्षण किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं और इसके बड़े सामाजिक परिणाम भी हो सकते हैं। भारतीय कानून वैधता की ओर झुकता है और कमीनेपन पर नाराजगी जताता है। कानून में किसी बच्चे की वैधता की धारणा को हल्के में नहीं लिया जा सकता। *कामती देवी बनाम पोशी राम* मामले में इस न्यायालय ने वैध विवाह के दौरान पैदा हुए बच्चे के पितृत्व के पक्ष में धारणा को विस्थापित करने के लिए आवश्यक सबूत के मानक के प्रश्न का निर्धारण करते हुए कहा:

"10. हमें याद होगा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 उस समय लागू की गई थी जब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (डीएनए) के साथ-साथ राइबोन्यूक्लिक एसिड (आरएनए) परीक्षणों के साथ आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति विधायिका के चिंतन में भी नहीं थी। वास्तविक डीएनए परीक्षण का परिणाम वैज्ञानिक रूप से सटीक माना जाता है। लेकिन यह भी अधिनियम की धारा 112 की निर्णायकता से बचने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि गर्भाधान के समय पति और पत्नी एक साथ रह रहे थे, लेकिन डीएनए परीक्षण से पता चला कि बच्चा पति से पैदा नहीं हुआ था, तो कानून में निष्कर्ष अपरिवर्तनीय रहेगा। यह उस पति के दृष्टिकोण से कठिन लग सकता है जो उस बच्चे के पितात्व को सहन करने के लिए मजबूर होगा जिसके लिए वह निर्दोष हो सकता है। लेकिन ऐसे मामले में भी कानून मासूम बच्चे के पक्ष में झुकता है, अगर गर्भधारण के समय उसकी मां और उसका जीवनसाथी एक साथ रह रहे हों। इसलिए निष्कर्ष का खंडन करने के लिए

गैर-पहुंच के प्रमाण की डिग्री के संबंध में प्रश्न का उत्तर इस प्रकाश में दिया जाना चाहिए कि पहुंच या गैर-पहुंच का क्या मतलब है जैसा कि ऊपर बताया गया है।

11.2. किसी बच्चे की वैधता की धारणा को केवल साक्ष्यों की प्रबल प्रबलता से ही विस्थापित किया जा सकता है, न कि केवल संभावनाओं के संतुलन से। न्यायालय की राय का भौतिक भाग नीचे प्रस्तुत किया गया है:

11...लेकिन साथ ही संभाव्यता की प्रबलता का परीक्षण बहुत हल्का है क्योंकि इससे कई बच्चों को अवैध होने का खतरा हो सकता है। यदि कोई अदालत यह घोषणा करती है कि पति अपनी पत्नी के बच्चे का पिता नहीं है, तो उसके वास्तविक पिता का पता लगाए बिना, बच्चे पर इसका प्रभाव उसकी माँ की सारी बदनामी के अलावा विनाशकारी होगा। हरामी बच्चा बड़ा होने पर सामाजिक रूप से बहिष्कृत हो जाएगा और आसानी से पथभ्रष्ट जीवन में गिर सकता है। इसलिए, प्रचुर सावधानी के माध्यम से और सार्वजनिक नीति के मामले के रूप में, कानून केवल संभावना के झुकाव के बल पर एक निर्दोष बच्चे पर ऐसे परिणाम की अनुमति नहीं दे सकता है। इसका परिणाम यह है कि वादी पति का भार संभावनाओं की प्रधानता के मानक से अधिक होना चाहिए। ऐसे मामलों में सबूत का मानक कम से कम दोनों के बीच का होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वादी पति के माध्यम से बच्चे की कल्पना करने की कोई संभावना नहीं है।"

12.न्यायालय का यह भी विचार था कि साक्ष्य का सामान्य नियम यह है कि बोझ उस पक्ष पर है जो सकारात्मकता का दावा करता है। लेकिन ऐसे मामलों में जहां इसे चुनौती दी जाती है, इसका बोझ उस पार्टी पर डाल दिया जाता है, जो नकारात्मक पक्ष की वकालत करती है। सबूत के बोझ के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, यह निष्कर्ष निकालना सुरक्षित होगा कि वर्तमान जैसे मामले में, न्यायालय का निर्णय पार्टियों के हितों, यानी सत्य की खोज, और सामाजिक और सामाजिक हितों को संतुलित करने के बाद ही दिया जाना चाहिए। उसमें शामिल सांस्कृतिक निहितार्थ। किसी व्यक्ति को कमीने के रूप में कलंकित करने की संभावना, एक ऐसे वयस्क को अपमानित करने की संभावना, जो अपने जीवन के परिपक्व वर्षों में अपने माता-पिता का जैविक पुत्र नहीं दिखाया जाता है, न केवल सहन करने के लिए एक भारी अपराध हो सकता है, बल्कि घुसपैठ भी कर सकता है। उसकी निजता के अधिकार पर.

13. डीएनए एक व्यक्ति के लिए अद्वितीय है (जुड़वा बच्चों को छोड़कर) और इसका उपयोग किसी व्यक्ति की पहचान की पहचान करने, पारिवारिक संबंधों का

पता लगाने या यहां तक कि संवेदनशील स्वास्थ्य जानकारी प्रकट करने के लिए किया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों में किसी व्यक्ति को डीएनए के लिए नमूना प्रदान करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, इसका उत्तर *के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ* मामले में इस न्यायालय के सर्वसम्मत निर्णय में निर्धारित आनुपातिकता के परीक्षण पर विचार करके दिया जा सकता है, जिसमें निजता का अधिकार दिया गया है। भारत में संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार घोषित किया गया। इसलिए न्यायालय को अपनाए जा रहे वैध लक्ष्यों की आनुपातिकता की जांच करनी चाहिए, यानी क्या वे मनमाने या भेदभावपूर्ण नहीं हैं, क्या उनका व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और क्या वे व्यक्ति की गोपनीयता और व्यक्तिगत स्वायत्तता पर अतिक्रमण को उचित ठहराते हैं, डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है. इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान मामले में, वादी को डीएनए परीक्षण के अधीन करने का आवेदन एक घोषणात्मक मुकदमे में है और वादी ने पहले ही सबूत पेश कर दिया है और अपने मामले को साबित करने के लिए अतिरिक्त सबूत (डीएनए) पेश करने में दिलचस्पी नहीं रखता है। अब प्रतिवादियों की बारी है कि वे अपने साक्ष्य प्रस्तुत करें। इस स्तर पर, वे वादी का डीएनए परीक्षण कराने के लिए कह रहे हैं। आवेदन के समय पर सवाल उठाते हुए ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी के आवेदन को खारिज कर दिया और हमें लगता है कि यह सही आदेश था।

14. अभी तक तय होने वाले मुकदमे में, वादी ने उत्तरदाताओं के शपथ पत्र, अपने स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र और अपने अधिवास प्रमाण पत्र के माध्यम से साक्ष्य का नेतृत्व किया है। गौरतलब है कि प्रतिवादी नंबर 1, जो 3 भाई-बहनों (प्रतिवादियों) में से एक है, ने अपने हलफनामे में घोषणा की थी कि वादी को उसके माता-पिता ने एक बेटे के रूप में पाला था। इसलिए, वादी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त साक्ष्य की प्रकृति (डीएनए नमूना प्रदान करके) को दूसरे पक्ष के कहने पर न्यायालय द्वारा आदेश देने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के मुकदमे में जहां हितों को संतुलित करना होगा और प्रमुख आवश्यकता की कसौटी संतुष्ट नहीं है, हमारी सुविचारित राय यह है कि वादी की निजता के अधिकार की सुरक्षा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

15. इन सवालों के जवाब देने के बाद, अतिरिक्त मुद्दा यह हल किया जाना है कि क्या डीएनए परीक्षण से इनकार करना 'अन्य साक्ष्य' के बराबर है या दूसरे शब्दों में, क्या ऐसी स्थिति में कोई प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है। शारदा बनाम धर्मपाल® मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायमूर्ति एस.बी. द्वारा लिखित राय दी। सिन्हा ने पैराग्राफ 79 में सही कहा है कि "यदि अदालत द्वारा

पारित आदेश के बावजूद, कोई व्यक्ति खुद को ऐसी चिकित्सा जांच के लिए प्रस्तुत करने से इनकार करता है, तो धारा 114 के दायरे में उस व्यक्ति के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने का एक मजबूत मामला बनाया जा सकता है"। साक्ष्य अधिनियम के. यहां वादी ने अपने दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए हैं और वह आगे साक्ष्य प्रस्तुत करने में अनिच्छुक है। वह अपने इनकार के दुष्परिणामों से अवगत हैं, लेकिन डीएनए टेस्ट कराने से इनकार करने पर अड़े हुए हैं। उनके मुक़दमे का निर्णय अंततः प्रस्तुत साक्ष्य की प्रकृति और गुणवत्ता पर किया जाएगा। इनकार के आधार पर प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने का मुद्दा भी उठ सकता है। अदालत को दोनों पक्षों के साक्ष्यों को सभी संबंधित परिस्थितियों के साथ तौलना है और फिर मुकदमे में फैसले पर पहुंचना है और यह उस तरह का मामला नहीं है जहां वादी का डीएनए परीक्षण बिना किसी अपवाद के होता है।

16. प्रतिवादी वादी को प्रतिवादी के मामले के समर्थन में और सबूत पेश करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। किसी भी मामले में, मुकदमेबाजी करने वाले पक्ष पर यह बोझ है कि वह अपनी याचिका के समर्थन में साक्ष्य जोड़कर अपने मामले को साबित करे और अदालत को पक्षकार को प्रतिस्पर्धी पक्ष द्वारा सुझाए गए तरीके से अपना मामला साबित करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए।

17. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ता (वादी) ने अपने समर्थन में साक्ष्य रिकॉर्ड पर लाये हैं जो उसके मूल्यांकन में उसके मामले को पर्याप्त रूप से स्थापित करते हैं। उनका मुक़दमा उन सबूतों के साथ सफल या विफल हो जाएगा, जो निश्चित रूप से दूसरे पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों पर निर्भर करेगा। जब वादी खुद को डीएनए परीक्षण के लिए तैयार नहीं करता है, तो उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करना उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार पर आघात होगा। इस परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो आक्षेपित निर्णय हस्तक्षेप के योग्य है और इसे रद्द किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, 28.11.2017 को विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश बहाल किया जाता है। मुकदमे को तदनुसार आगे बढ़ाने का आदेश दिया जाता है।

18. उपरोक्त आदेश के साथ, अपील को पार्टियों को उनकी संबंधित लागत वहन करने की अनुमति दी जाती है।

दिव्या पांडे अपील की अनुमति.

आशीष तिवारी द्वारा अनुवादि।